

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

!! संकल्प !!


संकल्प सं०-3/सी० एस०/एम०-703/2011 ²⁶⁹ /दिनांक- 13/6/2013

विषय : बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/ पर्वद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को देय सुविधाओं के संबंध में।


मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या-502, दिनांक- 08.03.2007 की कंडिका-12 में किए गए प्रावधान के तहत विधान मंडल के सत्तारूढ़ दल एवं विरोधी दल के मुख्य सचेतक/उप-मुख्य सचेतक/सचेतकगण, जिन्हें मंत्री एवं राज्य मंत्री की सुविधा प्राप्त है; को एच० ओ० आर० की सुविधा अनुमान्य होगी।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। साथ-ही, सरकार के सभी विभागों को इसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-3/सी० एस०/एम०-703/2011 ²⁶⁹, पटना-15, दिनांक- 13/6/2013
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग/वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव, सभी विभाग/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव/माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-3/सी० एस०/एम०-703/2011 ²⁶⁹, पटना-15, दिनांक- 13/6/2013
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।


(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के सचिव